न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 31 / 2025

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री कमल किशोर पालीया पुत्र श्री प्रेमाराज पालीया

मैसर्स हे प्रभु साउथ इण्डियन फास्ट फूड स्टॉल

नई चौपाटी, रीजनल कॉलेज के सामने, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री कमल किशोर पालीया अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 09.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.1.2025 को जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने के अभियान के तहत जांच दल श्री कमल किशोर पालीया पुत्र श्री प्रेमाराज पालीया मैसर्स हे प्रभु साउथ इण्डियन फास्ट फूड स्टॉल, नई चौपाटी, रीजनल कॉलेज के सामने अजमेर पहुँचे। जांच दल में रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, गोकुल गर्ग प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक सम्मलित थे। मौके पर 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर का व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया । मौके पर वर्धमान गैस एजेन्सी, अजमेर का कार्मिक श्री प्रकाश सिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह निवासी भीम ब्यावर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	305052 एस	IOCL	15.6	21.4	5.8

जिला कलक्टर
अजमेर

जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मै एक गरीब आदमी हूँ, जो अपना प्रतिदिन का गुजारा करके अपना जीवनयापन करता हूँ। जो कृत्य मेरे द्वारा किया गया जिससे में अनभिग्य था एवं भविष्य में मेरे द्वारा ऐसा कृत्य पुन नही करूगा । अतः नोटिस निरस्त फरमावे।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.01.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर, भण्डारित पाया । अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलैण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया । अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, को राजसात फरमावें ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 24.01.2025 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर, को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है कि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर